

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक अपील संख्या – 237 वर्ष 2026**

मो.जावेद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रधान सचिव, गृह

तथा अन्य

....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनामिका सिंह

प्रतिवादी(गण)के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, आलोक कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या – 28**माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आज प्रस्तुत प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनामिका सिंह , प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, दिनांक 17.01.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4849 वर्ष 2025 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 297 वर्ष 2025, धारा 64(2)(एम), 352, 351(3), 126(2) एवं 308(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(1)(बा), 3(1)(दा), 3(1)(धा), 3(2)(व), 3(2)(वा) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलकर्ता को इस वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि कथित घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 वर्ष की अत्यधिक विलंब से दर्ज कराया गया है। यह भी कहा गया कि पीड़िता की आयु लगभग 22 वर्ष 5 माह है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 20.07.2003 है। यह भी निवेदित किया गया कि चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट नहीं पाई गई। यह भी निवेदित किया गया कि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अपने कथन में कहा है कि उसका अपीलकर्ता के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। यह भी कहा गया कि प्रारंभ में वाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, परंतु विवेचना के दौरान उक्त अधिनियम को हटा दिया गया। यह भी कहा गया कि किसी कथित दृश्य-चित्र का कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी निवेदित किया गया कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 13.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा किसी साक्षी अथवा प्रकरण से संबंधित किसी व्यक्ति को भयभीत या प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाए तथा अपीलकर्ता को जमानत प्रदान की जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का तीव्र विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया तथा उसका दृश्य-चित्र बनाकर उसे प्रसारित करने की धमकी दी, अतः वह

जमानत का अधिकारी नहीं है और अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, वे अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अन्य तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भी सम्मिलित हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 वर्ष की अत्यधिक विलंब से दर्ज किया गया; जन्मतिथि के अनुसार अभियोजिका की आयु लगभग 22 वर्ष 5 माह है; चिकित्सीय परीक्षण में कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट नहीं पाई गई; अभियोजिका ने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपने कथन में अपीलकर्ता के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध होने की बात कही है; प्रारंभ में वाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, परंतु विवेचना के दौरान उक्त अधिनियम को हटा दिया गया; किसी कथित दृश्य-चित्र की बरामदगी नहीं हुई; अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 13.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसने यह आश्वासन दिया है कि जमानत मिलने पर वह दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। इन परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील **स्वीकृत** की जाती है। परिणामस्वरूप, दिनांक 17.01.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ता **मोहम्मद जावेद** को उपर्युक्त अपराध संख्या में निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—



- (1) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (2) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (3) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (4) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (5) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
- (6) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (7) अपीलकर्ता साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।
- (8) अपीलकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश जमानत प्रदान किए जाने से संबंधित है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी तथा विचारण न्यायालय इनसे प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

17 मार्च, 2026

के.के.वी.

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)